


विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1960

क्र०	वर्ष	संपन्न जोड़े	प्रदाय सामग्री (प्रति जोड़ा)	एफ०डी० की संख्या
1	2013-14	524	13000/-	प्रावधान नहीं था ।
2	2014-15	379	12000/	316
3	2015-16	641	12000/	454
		147	12000/	132
	योग	1691		902

नोट:-

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत वर्ष 2013-14 में राशि रु० 13,000/- जिसमें कन्या को वस्त्र, आभूषण, गृहस्थी का सामान, बर्तन आदि दिया जाना सम्मिलित था । साथ ही रु० 2000/- प्रायोजक को दिये जाने का प्रावधान था ।
2. वर्ष 2014-15 से उक्त योजना के तहत राशि रु० 12,000/- जिसमें रु० 5000/- विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (मंगलसूत्र, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) तथा राशि रु० 7000/- कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिए कन्या के बचत खाते में हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हेतु 5 वर्ष तक के लिए सावधि जमा रु० 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है । वर्तमान में रु० 3000/- प्रायोजक को दिये जाने का प्रावधान है ।


 उप संचालक (सा०सहा०)
 वास्ते संचालक
 सागाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
 कल्याण, मध्यप्रदेश

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1960

क्र०	निकाय का नाम	वर्ष	निकाय में पदस्थ रहे अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	जनपद पंचायत सोहावल, जिला सतना	2014-15	श्री अनिल तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
		2015-16	श्री यू०पी० सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
		2015-16	श्री के०के० पाण्डे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
2	जनपद पंचायत उचेहरा जिला सतना	2015-16	श्रीमती वंदना शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
3	जनपद पंचायत अमरपाटन, जिला सतना	2014-15	श्री डी०पी० श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
		2015-16	श्री आर०एन० शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
4	नगर निगम सतना	2015-16	श्री धीरेन्द्र सिंह, आयुक्त नगर निगम सतना



उप संचालक (सा०सहा०)
वास्ते संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश